Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of Sub-Judge, Teghra

Case No. T.S. 173/2007

Shivjee Singh ..... **Vs.** Smt. Rukmini Devi .....

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	12-3-24. (1.)	Recalling of Witness वादी की ओर से दिनांक 16-3-2023 को एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना किया गया है कि वादी का साक्ष्य बंद होगया है परन्तु वाद में अन्य साक्षियों का साक्ष्य कराया जाना आवश्यक है। इसीलिए वादी का साक्ष्य बंद किये जाने के आदेश को वापस लिया जाये एवं वादी को साक्ष्य का अवसर दिया जाये। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 15-06-2023 को प्रत्युत्तर दाखिल कर प्रार्थना किया गया है कि वादी का आवेदन का आवेदन स्पष्ट नहीं है। वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अतः वादी के आवेदन को खारिज किया जाये। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद मे 10-08-2017 से वादी के साक्ष्य हेतु	

Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of Sub-Judge, Teghra

Case No. T.S. 173/2007.

Shivjee Singh **Vs.** Smt. Rukmini Devi

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 12-3-2024 (2)	लंबित चला आ रहा है। दिनांक 14-11-2019 को वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 300/- रुपये खर्चे पर अंतिम अवसर दिया गया था। पुनः दिनांक 24-05-2022 को वादी को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया है। वादी को एक अन्य अवसर देते हुए वादी के समयवेदन को 500/- रुपये खर्चे पर दिनांक 25-8-22 को स्वीकृत किया गया। वादी द्वारा उक्त खर्चा की राशि अब तक जमा नहीं की गयी है। उपरोक्त के बावजूद वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 05-01-2023 को वादी का साक्ष्य बंद किया गया तत्पश्चात वादी की ओर से दिनांक 16-03-2023 को साक्षी के रिकॉल का आवेदन दिया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने में घोर उपेक्षा एवं लापरवाही बरती गयी है। उचित पैरवी न किये जाने के आधार पर वादी का यह वाद खारिज भी किया जा चुका है जिसे Misc 02/2014 के माध्यम से पुनर्स्थापित (Restore) किया	

Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of Sub-Judge, Teghra

Case No. T.S. 173/2007.

Shivjee Singh **Vs.** Smt. Rukmini Devi.

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 12-03-2024 (3)	गया है। वाद काफी पुराना है व वर्ष 2007 से लंबित है। वादी अपने निष्क्रिय व्यवहार के कारण प्रस्तुत आवेदन में अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। परन्तु वाद के उचित न्याय निर्णयन हेतु उत्तम साक्ष्य का आना अति आवश्यक है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16-03-2023 को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है — (1.) वादी लगातार चार तिथियों में अपना साक्ष्य समाप्त करे। (2.) वादी दिनांक 14-11-2019 एवं दिनांक 25-08-2022 को अधिरोपित खर्चे की राशि का भुगतान करे। (3.) वादी अपनी ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले साक्षियों की सूची समर्पित करे। (4.) वादी अपनी घोर उपेक्षा एवं लापरवाही के एवज में खर्चे के रूप में कुल 2500/- रूपये का भुगतान करे। यह खर्चा उपरोक्त वर्णित खर्चे के अतिरिक्त होगा। (5.) एतद द्वारा दिनांक 05-01-2023 के आदेश को वापस लिया जाता है। — Contd —	

In the Court of Sub-Judge, Teghra

Case No. T. S. 173/2007.

Shirjee Singh **Vs.** Smt. Rukmini Devi

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 12-3-24. (4.)	वादी के आवेदन दिनांक 16-03-2023 को स्वीकृत करते हुए अभिलेख को पुनः वादी के साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। वाद दिनांक 28.05.24 को वादी साक्ष्य हेतु अभिलेख प्रस्तुत करें। 12/03/2024. (SUSHIL PRASAD) Sub Judge Teghra.	